न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

01

प्रभु महतो बनाम् **यमुना महतो वगै0**

विविध वाद संख्या –44 / 2024

***U/S* – 144 Cr. P. C.**

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

प्रभु महतो, पिता – स्व0 चेतलाल महतो,
साकिन– मंझिलाडीह, थाना– ओ0पी0 भरकट्टा, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. यमुना महतो, पिता – स्व0 बासो महतो,
2. नुनुराम महतो, पिता – स्व चेतलाल महतो,
3. महावीर महतो, पिता – नुनुराम महतो,

सभी साकिन– मंझिलाडीह, थाना– ओ0पी0 भरकट्टा,जिला– गिरिडीह।

4. रामजी महतो वगैरह, पिता – रघुनाथ महतो,

साकिन– पलौंजिया, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं ओ0 पी0 प्रभारी भरकट्टा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहद्दी
भलुवा	20	49	2.09 ए0 मधे 10.50 डी0	उ0– अशोक मोदी, द0– कोडरमा कोवाडर रोड, पू0– पी0 सी0 सी0 सड़क, प0– रूपू महतो।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 30.03.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. ऑफलाईन खतियान की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. फागु महतो वगै0 के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

29.05.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

4. फागु महतो वगै0 के नाम से ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. प्रभु महतो की आधार कार्ड की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**

(02)

प्रथम पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि विवादित जमीन का विवरण इस प्रकार है। मौजा – भलुवा, थाना – बिरनी ओ0 पी0 भरकट्टा, थाना नं0 – 0, खाता नं0 – 20, प्लॉट नं0 – 49, समिलात रकबा – 2 ए0 9 डी0 मधे 10.50 डी0, हाल केवालदार चौहदी उ0 – अशोक मोदी, द0 – कोडरमा कोवाड रोड़, पू0 – पी0 सी0 सी0 सड़क, प0 – रूपू महतो।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि बिरनी अंचल के मांग पंजी – II के भाग संख्या – 1, पेज नं0 – 41 पर नेमचंद कोयरी के नाम पर जमाबंदी कायम है।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 18.05.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. नेमचंद कोयरी व्गै0 के नाम से ऑफलाईन एवं ऑनलाईन खतियान की छायाप्रति – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. फागु महतो वगै0 के नाम से ऑफलाईन एवं ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. बंटवारानामा की छायाप्रति, कुल – 06 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**
5. पंचायतनामा की छायाप्रति, कुल – 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-5**
6. द्वित्तीय पक्ष के बने हुए मकान के फोटो की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-6**

द्वित्तीय पक्ष के लिखित कारण–पृच्छा में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 05 – यह कि विवादित जमीन मौजा – भलुवा, थाना – बिरनी, जिला – गिरिडीह के अंतर्गत खाता नं0 – 20, प्लॉट नं0 – 49, रकबा – 2 ए0 9 डी0 मधे 10.50 डी0, जिसकी चौहदी उ0 – अशोक मोदी का घर, द0 – कोडरमा कोवाड रोड़, पू0 – पी0 सी0 सी0 सड़क तथा रूपू महतो का खाली जमीन, प0 – रूपू महतो का घर दर्ज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 06 – यह कि उभय पक्ष एक ही वंशज के है वो प्रथम पक्ष प्रभु महतो तथा द्वित्तीय पक्ष के कम संख्या – 02 नुनुराम महतो आपस में सहोदर भाई है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 07 – यह कि उभय पक्ष के पूर्वज नेमचंद कोइरी वो भोलो कोइरी, पेशरन – सेवा कोइरी के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है वो अंचल कार्यालय, बिरनी के जमाबंदी पंजी II के पेज नं0 – 41, भोलुम नं0 – 9 पर फागु महतो वगैरह के नाम पर जमाबंदी दर्ज है तथा साल दर साल राजस्व रसीद निर्गत कराते चले आ रहे हैं।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 08 – यह कि उभय पक्ष अपने पंचायत के जनप्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 04.06.2017 ई0 को पंचापावरनामा बना कर अपने पैतृक सम्पत्ति का उभय पक्ष बंटवारा कर लिया गया है। इसलिए यह वाद चलने योग्य नहीं है।

29.05.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

थाना प्रभारी, ओ0 पी0 भरकट्टा का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, ओ0 पी0 भरकट्टा का ज्ञापांक – 133/24, दिनांक – 04.04.2024; कुल 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ); प्रदर्श **C-1**

अंचल बिरनी का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बिरनी का पत्रांक– 459/बिरनी दिनांक – 26.04.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 03 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 02 पृष्ठ) – प्रदर्श **D-1**

विष्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहद्दी
भलुवा	20	49	2.09 ए0 मधे 10.50 डी0	उ0– अशोक मोदी, द0– कोर कोवाडस रोड, पू0– पी0 सी0 सड़क, प0– रूपू महतो।

2. उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 20, खतियान में नेमचंद कोइरी वगै0 के नाम पर दर्ज है।
3. उक्त विवादित भूमि का जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या – 9, पेज नं0 – 41 पर फागु महतो वगै0 के नाम पर दर्ज है।
4. जमाबंदी रैयत फागु महतो, उभय पक्ष के परदादा हैं। उभय पक्ष आपस में सहोदर भाई है।

स्पष्ट है कि यह विवाद आपसी बंटवारा और हक – हकियत से संबंधित है, जिसका निपटारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

29.05.2024   29.05.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी (मुहर)   अनुमण्डल दण्डाधिकारी (मुहर)

अनुमंडल दण्डाधिकारी   अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।   बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 11:24:32 +05:30
Location: 192.168.1.3